"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2015— कार्तिक 7, शक 1937

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

आदेश

क्रमांक एफ.1-2/2014/रास/यू.-17.— अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 20(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 8(1) में उल्लेखित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)/विश्वविद्यालय, नया रायपुर द्वारा डॉ. पी. के. सिन्हा, पूणे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है.

2. डॉ. पी. के. सिन्हा का कार्यकाल, परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार होगी.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
राज्यपाल के प्रमुख सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.